

सिपाही रणधीर को ड्यूटी करने की सजा मिली उम्रकैद

फरीदाबाद (म.मो.) सन् 1948 में थाना सदर बल्लभगढ़ में तैनात सिपाही को गत माह हत्या के आरोप में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत उग्र कैद की सजा सुना कर नीमका जेल भेज दिया गया। सिपाही व उसके एसएचओ सतनारायण पर मृतक गौतमस्कर यूसुफ के परिजनों ने आरोप लगाया था कि वे जब रात को पलवल से अपने घर लौट रहे थे तो पुलिसवालों ने उनकी मारुति 800 रोक ली। पुलिस ने उसे पहचानते हुए कहा कि यह तो यूसुफ कसाई है, उससे पैसे वसूल करो। जब उसने पैसे नहीं दिए और कार भगाने लगा तो पीछे से गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई।

इसके विपरीत वास्तविकता यह है कि दिनांक 16.5.1998 की रात गावों का एक ट्रक गांव धौज की तरफ जा रहा था। ट्रक के आगे सफ़ेद मारुति 800 जिसका नंबर 6838 था चल रही थी। इसमें कालू ड्राइवर के साथ यूसुफ व पीछे रमजान बैठा था। इस ट्रक को एलसन कॉर्टन के मोड़ पर खड़ी पुलिस जिप्सी ने रुकने का इशारा किया तो यह नाका तोड़कर भाग लिया। जिप्सी पीछे लग ली। सिकरोना गांव के पास एसएचओ सतनारायण सिपाही रणधीर सिंह व तीन अन्य पुलिसकर्मी एक अन्य जिप्सी में पहले से ही उधर मौजूद थे।

ट्रक का पीछा करते करते ये लोग धौज गांव में जा घुसे। गांव की गलियों में ट्रक तो लापता हो गया और एसएचओ की टीम को गांववालों ने घेर लिया। उधर घूमती फिरती मारुति भी गांव में पहुंच गई। वहां यूसुफ की खमी हालत को देखकर उसे एस्कॉर्ट अस्पताल लाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस पार्टी वहाँ पहले से हो चुकी एक लूट वारदात के सिलसिले में गए हुए थे। रात के 3 बजे मारुति कार ट्रक व उसके पीछे पुलिस जिप्सी को बहुत तेज गति से आते देख कर एसएचओ की पार्टी भी अलर्ट हो गई। इन्होंने जब मारुति को रुकने का इशारा किया जो उसने अपने को दोनों ओर से घिरा देखकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और नाके से भाग निकले।

इस नाके से ट्रक और मारुति दो अलग अलग सड़कों पर भाग लिए। ट्रक के पीछे एलसन वाली जिप्सी तथा मारुति के पीछे एसएचओ वाली जिप्सी लग ली। एलसन

वाली जिप्सी थोड़ी दूर जाकर पंचर हो गई। मारुति से आ रही फायरिंग का जवाब देने के लिए एसएचओ ने सिपाही रणधीर को अपनी रायफल से फायर करने का आदेश दिया। रणधीर ने मारुति के टायर पर गोली मारने का प्रयास किया, लेकिन गोली पेट्रोल टंकी के ढक्कन को छूती हुई अगली सीट पर बैठे यूसुफ की पीठ के निचले हिस्से में जा लगी। इसके बावजूद भी कार रुकी नहीं बल्कि इतनी अधिक गति से भागने लगी कि एक मोड़ पर एसएचओ से ओझल हो गई। लेकिन तभी इन्हें गावों वाला ट्रक भागता दिखाई दिया तो ये उसके पीछे लग लिए। ट्रक का पीछा करते करते ये लोग धौज गांव में जा घुसे। गांव की गलियों में ट्रक तो लापता हो गया और एसएचओ की टीम को गांववालों ने घेर लिया। उधर घूमती फिरती मारुति भी गांव में पहुंच गई। वहां यूसुफ की खमी हालत को देखकर उसे एस्कॉर्ट अस्पताल लाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। यूसुफ की मौत की खबर सुनते ही गांव वाले भड़क उठे और गांव में घिरी पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। एसएचओ सत्यनारायण के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने मुश्किल से हवाई फायरिंग करके अपने आपको बचाया।

शेष पेज 2 पर

ग्रामीणों के विरोध के बावजूद निगम ने 88 करोड़ की ज़मीन बेच खाई

फरीदाबाद (म.मो.) भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार में जुटी नगर निगम ने ग्रामीणों के भारी विरोध के बावजूद दिनांक 8 नवम्बर को बुडैना गांव की तीन टुकड़ों में बंटी करीब 4 एकड़ ज़मीन बिल्डरों को निलामी द्वारा 88 करोड़ में बेच दी। इसका एक चौथाई यानी 22 करोड़ रुपया निगम ने प्राप्त भी कर लिया है। निगम की दिवाली यूं तो वैसे भी बढिया ही रहती है परन्तु अब तो और भी बढिया हो गयी। विदित है कि इस ज़मीन को बेचने के लिये निगम के सदन से मंजूरी लेने की बजाय मात्र 14 पार्श्वों से चुप चाप उनके घरों में जा कर स्वीकृति ले ली गयी थी। यदि इसे सदन के पटल पर रखा जाता तो उन 14 पार्श्वों को भी खुले आम इस डकैती की स्वीकृति देने में शर्म आ जाती और प्रस्ताव स्वीकार न हो पाता। परन्तु जब सरकार चलाने वालों को ही लूट का धन चाहिये हो तो चोर रास्ते निकालने ही पड़ते हैं।

सर्वविदित है कि नगर निगम का वार्षिक टैक्स क्लेक्शन 100 करोड़ से अधिक नहीं होता, जबकि इसके कर्मचारियों के वेतन, भत्तों व प्रस्थापना पर ही 80 करोड़ से अधिक खर्च हो जाता है। वर्ष दर वर्ष होने वाले इस महाघोटाले को छिपाने के लिये निगम हमेशा ही लम्बा चौड़ा फ़र्जी बजट बनाती है ताकि उनके प्रस्थापना पर होने वाले शहनशाही खर्च उसमें छिप सकें। लेकिन प्रस्थापना और वेतन भत्तों से तो काम चलता नहीं। इसलिये काम चलाने के लिये कर्ज व ग्राटे आदि हज़म करने के बाद परिसम्पत्तियां बेचनी पड़ती हैं। स्पष्ट है कि जिस घर का काम उसकी कमाई हुई आमदनी से नहीं चलता और घर चलाने के लिये घर के सामान बेचने की नौबत आ जाये तो उस घर का बर्बाद होना निश्चित है। कुल मिलाकर यही हाल नगर निगम का है। नगर बर्बाद हो या निगम इससे अधिकारियों व सरकार को कुछ लेना-देना नहीं क्योंकि उनके घरों में तो लूट का माल बराबर जा रहा है, बर्बाद तो वे नगर निवासी हो रहे हैं जो भारी भरकम टैक्सों के बदले कुछ भी नहीं पा रहे।

■
नगर बर्बाद हो या निगम इससे अधिकारियों व सरकार को कुछ लेना-देना नहीं क्योंकि उनके घरों में तो लूट का माल बराबर जा रहा है, बर्बाद तो वे नगर निवासी हो रहे हैं जो भारी भरकम टैक्सों के बदले कुछ भी नहीं पा रहे।

शेष पेज 2 पर

सिस्टम से राहुल की परेशानी

मलीला मैदान की महारैली में कुर्ते की बाहें चढ़ा-चढ़ा कर युवराज राहुल बाबा जनता की दुर्दशा के लिए सिस्टम यानी व्यवस्था को दोषी ठहरा रहे थे। दूसरे शब्दों में जनता की दुर्दशा-भूख, गरीबी आदि के लिए वे, उनकी माँ, पिता राजीव या दादी इंदिरा गांधी या उनके पापा जवाहर लाल नेहरू दोषी नहीं हैं। दोष है तो केवल व्यवस्था का। अब यहाँ समझना जरूरी है कि यह व्यवस्था क्या बला है ?

व्यवस्था बलवान द्वारा बनाए गए वे नियम हैं जिन्हें मानने के लिए निर्बल को बल द्वारा बाध्य किया जाता है। सरकार बलवान होती है। अपना आदेश, अपने नियम-कायदे मनवाने के लिए उनके पास पुलिस व फ़ौज होती है। पुलिसबल प्रयोग करने से पहले वह अपनी न्यायपालिका का प्रयोग करती है जिससे उसका बल प्रयोग जायज नजर

आए। सरकार ने फ़रीदाबाद से गुडगांव या होडल जाने वाली सड़क पूंजीपतियों को बेच दी, और आदेश जारी किया कि प्रत्येक वाहन वहाँ से गुजरने के 50, या 100 या 150 रुपए देगा, जो नहीं देगा उससे निपटने के लिए उनके पास लटैत हैं जिनको उसने खाकी वर्दी पहना दी है। इसी तरह की तमाम वसूलियाँ चाहे वह गैस पर हो या पेट्रोल पर या किसी अन्य वस्तु अथवा सेवा दर, सरकार वसूलती है, बस यही सिस्टम अथवा व्यवस्था है।

जनता से टैक्स वसूली के अलावा देश के संसाधनों यानी खदानें, जमीनें, जंगल एवं अन्य राष्ट्रीय संपदाएं लूटने एवं लूटवाने का एकाधिकार सरकार के पास है जिनकी जब चाहे जमीन छीन ले जब चाहे घर छीन ले, ऐसा कानून सरकार ने बना रखा है। जो इसका विरोध करे उसे देश का दुश्मन घोषित कर उससे निपटा जाता है। यही वह व्यवस्था



है जिसके तहत कोयला, लौह अयस्क आदि की खदानें अपने चहेतों अथवा अपने रिश्तेदारों व अपने गिरोह के सदस्यों को लूटने को दी गईं। किसान से सौ रुपए में छिनी गई ज़मीन वाड़ा एवं डीएलएफ के पास पहुंचते ही लाख रुपए की कैसे हो जाती है ? उसमें ऐसे क्या हीरे-मोती जड़ जाते हैं ? उसमें जड़ जाता है सीएलएल यानी किसान तो उसमें केवल खेती कर सकता था जबकि उससे छीनने वाले उसमें व्यापारिक कारोबार

कर सकते हैं। इसी का नाम तो व्यवस्था है। दूसरी ओर जनता से वसूले गए टैक्सों को जनता की भलाई के नाम पर खर्च करने का दावा करने वाली सरकार जिस तरह से उन्हें लूटवाती है, वह भी एक व्यवस्था है। फ़ौज के लिए 40 लाख का टाटा ट्रक एक करोड़ में खरीदना, सड़क, पुल, नहर बांध कुछ भी बनवाने के नाम पर जनता के पैसे को हड़प जाना, यह सब इसी व्यवस्था के द्वारा होता है। इस व्यवस्था को वह गरीब मेहनतकश नहीं बनाता जिसे लूटना व पीटना है। इसे बलवानों का वह गिरोह बनाता है जिसे लूटना व पीटना होता है।

अंग्रेज़ लुटेरों से सत्ता प्राप्त करने के बाद से यह व्यवस्था ज्यों की त्यों जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय लुटेरों ने संभाल ली। जिन लोगों को नेहरू एवं उनके गिरोह (कांग्रेस) ने लूटने के पर्याप्त अवसर नहीं दिए उन्होंने अपने अलग गिरोह बना कर इसी

व्यवस्था के तहत जनता को लूटना शुरू कर दिया। अब राहुल गाँधी अपने बाप दादाओं की बनाई गई इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन करना चाहते हैं ? यदि वे गरीब जनता की लूट को बंद करना चाहते हैं तो उनको रोक कौन रहा है ? आर्थिक सुधारों के नाम पर गैस, डीजल, पेट्रोल, बिजली व अन्य सेवाएं महंगी करने तथा टैक्सों का बोझ बढ़ाने की बजाए सरकार उन लुटेरों को क्यों नहीं नापती जो सीडब्ल्यूजी, 2जी स्पेक्ट्रम, कोलडोर के नाम पर देश को लूट गए। क्यों मुकेश व अनिल अंबानी जैसों को लूट का परमिट दे रखा है ? दरअसल एक लुटेरे गिरोह की तरह बदनाम हो चुकी कांग्रेस को अब सत्ता हाथ से फ़िसलती नजर आ रही है, इसलिए वह राहुल बाबा को आगे लगाकर इस तरह की नौटंकियां करा रही है ताकि किसी तरह जनता को भ्रमित कर के सत्ता पर कब्ज़ा कायम रखा जा सके।